

देखिये नियम 9(3) और (6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

क्रमांक:- राजस्व/भू.रू./01/2016/

दिनांक : 01-01-2016

-: संपरिवर्तन आदेश :-

प्रार्थीया श्रीमती चमेली पत्नि भोमाराम भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील ओसीया जिला जोधपुर, के आवेदन पर उनके ग्राम सिया, पटवार मण्डल कडिया, तहसील कुम्भलगढ़ में स्थित खातेदारी में धारित कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन व राजस्थान सरकार राजस्व (गुप-6) विभाग नंबर-एफ-6(6) राजस्व-6/92 पीटी/8 दिनांक 26.04.2011 को जारी अधिसूचना में (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 के अनुसार नियम 13 में संशोधन द्वारा नया उप नियम (1ए) के अन्तर्गत अकृषिक प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार से है :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का सहित पूरा पता	श्रीमती चमेली पत्नि भोमाराम भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील ओसीया जिला जोधपुर
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है	हाँ
3	संपरिवर्तित भूमि का विवरण:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा नंबर का क्षेत्रफल बीघा में (ग) - संपरिवर्तित क्षेत्रफल (प्रत्येक खसरा नंबर में से उपदर्शित क्षेत्रफल हेक्टर अथवा वर्गमीटर में टिप्पणी- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न करें ।	ग्राम सिया, पटवार मण्डल कडिया, तहसील कुम्भलगढ़ आराजी नंबर 803/10 रकबा 5.00 बीघा में से 4.07.10 बीघा अर्थात् 9450 वर्गमीटर भूमि आराजी नंबर 803/10 रकबा 5.00 बीघा में से 4.07.10 बीघा अर्थात् 9450 वर्गमीटर भूमि का "ओद्योगिक" प्रयोजनार्थ रुपान्तरण हाँ
4	सम्परिवर्तन का प्रयोजन	" ओद्योगिक " प्रयोजनार्थ रुपान्तरण
5	संदेय प्रीमियम की दर	5/रु. प्रति वर्गमीटर की दर से
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान नं. 136, GRN-0008970597 दिनांक 01.01.2016 से राशि 47,250/- नकद जमा हुए
7	चालान सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
9	क्या आदेश नियम 13 के अन्तर्गत नियमितिकरण का है ?	नहीं
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं

2
उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़, जिला- राजसमन्द

11	उपरोक्त भूमि का सम्परिवर्तन आदेश निम्न शर्तों के अधीन होगा :-
अ	उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
ब	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया धन सम्पूत हो जावेगा।
स	नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
द	"ओद्योगिक" प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
य	प्रार्थी द्वारा विभिन्न प्रकार की सड़कों यथा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़क तथा ग्रामीण रास्ते से आई.आर.सी. के मानदण्डानुसार निर्धारित दूरी छोड़ कर ही "ओद्योगिक" उपयोग किया जावेगा।
र	राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक : प-6(6)राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.07 की पालना भी सुनिश्चित की जावेगी।
ल	प्रार्थी द्वारा रूपान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य से जल प्रवाह को बाधित नहीं किया जावेगा।



— sd
उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़ - राजसमन्द

क्रमांक :- राजस्व/भूरु./04/2016/

दिनांक :- 01-01-2016

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

1. तहसीलदार कुम्भलगढ़।
2. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत कडिया, पंचायत समिति कुम्भलगढ़।
3. श्रीमती चमेली पत्नि भोमाराम भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील ओसीया जिला जोधपुर।
4. पटवारी हल्का कडिया को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।

— R
उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़ - राजसमन्द

-: पुनरीक्षित सम्पत्तिवर्तन आदेश :-

प्रार्थी महेंद्रा वूटीक होटल्स प्राइवेट लि जरिये निदेशक श्री लोकेन्द्र सिंह राठीड पिता श्री चन्दन सिंह निवासी रूपनगर, गैलेक्सी स्कूल के पास, पावटा सी रोड जोधपुर के आवेदन पर पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिए सम्पत्तिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए सम्पत्तिवर्तन) नियम 2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक प्रयोजन के लिए सम्पत्तिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार से हैं:-

1	खातदार, सह खातदार का नाम	प्रार्थी महेंद्रा वूटीक होटल्स प्राइवेट लि, जरिये निदेशक श्री लोकेन्द्र सिंह राठीड
2	आधार नम्बर	-
3	भामाशाह नम्बर	-
4	पिता/पति का नाम	श्री चन्दन सिंह
5	पता मय मोबाईल नम्बर	रूपनगर, गैलेक्सी स्कूल के पास, पावटा सी रोड जोधपुर
6	ई-मेल आई.डी.	-
7	क्या आवेदन अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है	नहीं
8	आदेश की संख्या तथा तारीख उप दर्शित करत हुए मूल सम्पत्तिवर्तन का प्रयोजन	उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ के आदेश क्रमांक : राजस्व/भूरू/09/2018 दिनांक 28.03.18 के द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपत्तिवर्तन किया गया।
9	पुनरीक्षित सम्पत्तिवर्तन का ब्योरा	औद्योगिक से पर्यटन इकाई एवं रिसोर्ट प्रयोजनार्थ
10	सम्पत्तिवर्तित भूमि का ब्योरा	
	(क) 1 जिले का नाम	राजसमन्द
	2 तहसील का नाम	कुम्भलगढ
	3 गांव का नाम	सिया
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	खसरा संख्या 795/10 क्षेत्रफल (वर्गमीटर) 10.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोग
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल सम्पत्तिवर्तित करत हुए सम्पत्तिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर में)	खसरा संख्या 795/10 क्षेत्रफल (वर्गमीटर) 10.00 बीघा में से 9.00 बीघा (19440 वर्गमीटर) औद्योगिक से पर्यटन इकाई रिसोर्ट प्रयोग पुनरीक्षित संपत्तिवर्तन
	टिप्पणी:- अकृषिक प्रयोजन के लिए सम्पत्तिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से स्थापित प्रति संलग्न है।	
11	मूल सम्पत्तिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :-	5/- प्रति वर्गमीटर की दर से
12	मूल सम्पत्तिवर्तन हेतु जमा कराये गयी रकम	चालान नं० 21795535 दिनांक 21.03.18 से राशि 45000/-, चालान नं० 21795648 दिनांक 21.03.18 से राशि 40000/-, चालान नं० 21795733 दिनांक 21.03.18 से राशि 23000/-रु. जमा उक्त राशि का मुद्रांक व सरजार्ज शुल्क जरिये चालान संख्या 21783305 दिनांक 21.03.18 से 6480/-रु. जमा
13	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की नाम तथा जमा की रकम	-
14	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की नाम तथा जमा की रकम	-
15	अन्य विशिष्टता यदि कोई हो	राजस्व(ग्रुप-6)विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ11(4) रेव-6/2014/13 दिनांक 22.05.2015 के द्वारा पर्यटन इकाई रिसोर्ट प्रयोजनार्थ रुपान्तरण में शुल्क नहीं लिये जाने का प्रावधान है।
16	उपरोक्त भूमियों का सम्पत्तिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-	
अ	उपरोक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए सम्पत्तिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा	



Handwritten signature or mark.

य	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 02 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जाएगी। प्रार्थी सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जाएगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमीयम धन राशि समपहृत हो जायेगी एवं प्रार्थी को जारी पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित प्लान एवं शर्तों के अनुरूप कार्य किया जावेगा।
स	नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा
द	लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
य	राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक:प-6(6)राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक: 17.07.07 एवं अधिसूचना दिनांक 16.01.12 व अधिसूचना एफ 6 (26)राज-6/2014/33 दिनांक: 06.10.16 की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी तथा राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों की पालना की जावेगी।
र	प्रार्थी द्वारा रूपान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य से जल प्रवाह को बाधित नहीं किया जावेगा
ल	निकटस्थ स्थानीय निकाय/नगर पालिका की उप विधियों एवं अधीन शर्तों के अनुसार ही कार्य किया जावेगा।
व	सहायक अभियंता सार्व0 निर्माण विभाग उपखण्ड कुम्भलगढ के पत्रांक 432 दिनांक 8.09.2019 के अनुसार प्रस्तावित भूमि सड़क के मध्य से 15 मीटर की दूरी को छोड़कर रूपान्तरण में विभाग को कोई आपत्ति नहीं बतायी गयी है। अतः उपरोक्तानुसार जारी अनापत्ति अनुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
श	उप वन सखाक वन्य जीव राजसमन्द के पत्रांक 8019 दिनांक 19.09.19 के अनुसार आवेदित भूमि वन भूमि नहीं होकर वन्य जीव अभ्यारण्य कुम्भलगढ की सीमा से लगभग 1.500 किमी० की दूरी पर स्थित है। अतः भूमि के रूपान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं बतायी है।
ष	उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि तक पहुँच मार्ग कलवाडा से सायरा जाने वाली सड़क से होकर आराजी नं० 803/10/1 किस्म बिलानाम भूमि पूर्व में समर्पित की गयी भूमि आ०नं० 803/10 एवं आ०नं० 796/10 किस्म औद्योगिक प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि में से होकर है।

- 54 -
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

- 01- अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 02- प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखानुभाग कलकट्टर, राजसमन्द ।
- 03- उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ
- 04- तहसीलदार, कुम्भलगढ को भेजकर लेख है कि नियम 12 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में आवश्यक प्राविष्टिमा अंकित करायी जावे ।
- 05- पटवारी प०ह० कडिया तहसील कुम्भलगढ
- 06- ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कडिया पंचायत समिति कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
- 07- प्रार्थी महेंद्रा बूटीक होटल्स प्राइवेट लि. जरिये निदेशक श्री लोकेन्द्र सिंह राठौड पिता श्री चन्दन सिंह निवासी रुपनगर, गैलेक्सी स्कूल के पास, पावटा सी रोड जांधपुर
- 08- रक्षित पत्रावली



M
जिला कलक्टर
राजसमन्द
जिला कलक्टर
राजसमन्द

प्रारूप - (घ)
देखिये नियम 10(4)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द
क्रमांक:-राजस्व/भू.रू./ 14/2017 दिनांक : 27.11.2017

-: संशोधित संपरिवर्तन आदेश :-

महेचा वोटीक्यू होटल्स प्रा.लि. जरिये निदेशक लोकेंद्रसिंह राठौड पिता चन्दन सिंह राठौड राजपूत निवासी रूपनगर, गैलेक्सी स्कूल के पास, पावटा सी रोड जोधपुर के आवेदन पर ग्राम सिंया, पटवार मण्डल कडिया, तहसील कुम्भलगढ में स्थित उनकी खातेदारी में धारित कृषि भूमि जो पहले से ही औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन शुदा है को संशोधित कर राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए सम्पर्वितन) नियम, 2007 के नियम 10(4) के अधीन व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग नंबर एफ-6(6) राजस्व-6/92 पीटी/8 दिनांक 26.04.2011 को जारी अधिसूचना में (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 के अनुसार नियम 13 में संशोधन द्वारा नया उप नियम (1ए) के अन्तर्गत वाणिज्यिक गेस्ट हाउस एण्ड रेस्टोरेन्ट प्रयोजन के लिए सम्पर्वितन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार से है :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का सहित पूरा पता	महेचा वोटीक्यू होटल्स प्रा.लि. जरिये निदेशक लोकेंद्रसिंह राठौड पिता चन्दन सिंह राठौड राजपूत निवासी रूपनगर, गैलेक्सी स्कूल के पास, पावटा सी रोड जोधपुर
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है	नहीं
3	मूल संपरिवर्तन आदेश का नंबर व दिनांक	क्रमांक:- राजस्व/भू.रू./3/2017 दिनांक 20.03.2017
4	संशोधित संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक गेस्ट हाउस एण्ड रेस्टोरेन्ट प्रयोजनार्थ
5	संपरिवर्तित भूमि का विवरण:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा नंबर का क्षेत्रफल बीघा में (ग) - संपरिवर्तित क्षेत्रफल (प्रत्येक खसरा नंबर में से उपदर्शित क्षेत्रफल हेक्टर अथवा वर्गमीटर में	ग्राम सिंया पटवार मण्डल कडिया, तहसील कुम्भलगढ आराजी नंबर 799/10 रकबा 5.00.00 बीघा आराजी नंबर 799/10 रकबा 5.00.00 बीघा में से रकबा 0.18.10 बीघा अर्थात् 1998 वर्ग मी. भूमि का औद्योगिक से वाणिज्यिक गेस्ट हाउस एण्ड रेस्टोरेन्ट प्रयोजनार्थ रुपान्तरण
	टिप्पणी- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की साम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न करें।	हाँ
6	मूल संपरिवर्तन आदेश में संधेय प्रीमियम की दर	5 रुपये प्रति वर्गमीटर
7	मूल संपरिवर्तन आदेश में प्रीमियम की जमा रकम व बालान नंबर व दिनांक	बालान नंबर जीआरएन-0015877485 दिनांक 27.03.2017 से रुपये 108000/- जमा हुए।



उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ

8	संशोधित राशिय प्रीमियम की दर	1.0 रुपये प्रति वर्ग मीटर
9	अन्तर राशि का चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान नंबर GRN-0033383085 दिनांक 13.09.2019 से प्रीमियम राशि 9990 /- रुपये जमा हुए
10	चालान सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
11	चालान की संख्या तथा तारीख सहित मुद्रांक व अधिभार यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	चालान नंबर जीआरएन 0033383171 दिनांक 13.09.2019 से रुपये 600 /- जमा
12	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	
13	उपरोक्त भूमि का सम्परिवर्तन आदेश निम्न शर्तों के अधीन होगा :-	नहीं
अ	उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	
ब	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया धन सम्प्लुत हो जावेगा।	
स	नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	
द	वाणिज्यिक गेस्ट हाउस एण्ड रेस्टोरेन्ट प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।	
य	प्राप्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की सड़कों यथा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़क तथा ग्रामीण रास्ते से आई.आर.सी. के मानदण्डानुसार निर्धारित दूरी छोड़ कर ही वाणिज्यिक गेस्ट हाउस एण्ड रेस्टोरेन्ट प्रयोजनार्थ उपयोग किया जावेगा।	
र	राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक-6(6)राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.07 की पालना भी सुनिश्चित की जावेगी।	
ल	प्राप्ति द्वारा रुपान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य से जल प्रवाह एवं रास्ता इत्यादि को बाधित नहीं किया जावेगा।	

कमांक: राजस्व/भूरु./ 14/2019

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

- 1-तहसीलदार कुम्भलगढ।
- 2-शायिच/सरपंच ग्राम पंचायत कडिया, पंचायत समिति कुम्भलगढ।
- 3-पटवारी हल्का कडिया को पालनार्थ।
- 4-गहेया बोटीचयू होटल्स प्रा.लि. जरिये निदेशक लोकेन्द्र सिंह राठौड पिता बन्दन सिंह राठौड राजपूत निवासी रूपनगर, मैलेवसी स्कूल के पास, पावटा सी रोड जोधपुर
- 5-रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्ध (राज.)

दिनांक : 7-11-19

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्ध (राज.)